वित्तीय स्वीकृति

संख्या-19/2015/भा0स029/52-315-बजट(17)/2010

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यव कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2015

विषयः-केन्द्रपुरोनिधानित संघन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत ग्रीन फील्ड मार्डन एके डमी फतेहपुर जनपद सहारनपुर में छात्रावास एवं विद्यालय भवनो के निर्माण हेतु पूंजीगत धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मानव संसाधन विकास मंत्राल, भारत सरकार के पत्र संख्या-एफ-8-35/2014 ईई 19, दिनांक 13.2.2015 के संदर्भ में मुझेयह कहनेका निदेश हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित संघन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत ग्रीन फील्ड मार्डन एके डमी फतेहपुर जनपद सहारनपुर में 04 कक्षों, एक शौचालय, बालक/बालिकाओंके लिए अलग-अलग शोचालय तथा पीनेके पानी की व्यवस्था हेतु रू0 14.21 लाख्के प्रस्ताव के सापेक्ष 75 प्रतिशत धनराशि के रूप में रू0 10.66 लाख की धनराशि स्वीकृत करतेहुयेउसके सापेक्ष रू0 5.33 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी है।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अल्पसंख्यव बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यव बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु रू0 18,50,00,000/- का आय व्ययक प्राविधान है जिसके सापेक्ष रू0 17,28,000/- की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी हैतथा रू0 18,32,72,000/- की धनराशि अवशेष है।

3. अतः ग्रीन फील्ड मार्डन एके डमी फतेहपुर जनपद सहारनपुर के निर्माण कार्यो के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 5,33,000/- (रू0 पाँच लाख तैतिस हजार मात्र) निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन निदेशक, अल्पसंख्यव कल्याण उ0प्र0, लखनऊ के निर्वतन पर रखेजानेहेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करतेहै।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उक्त धनराशि आहरित कर लाभार्थी संस्थाओं के प्रबन्ध तंत्र को सीधे उपलब्ध करायी जायेगी। योजनान्तर्गत छात्रावासों/विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य सी एण्ड डी0 एस0 (जल निगम) से कराया जायेगा तथा। यदि संस्थायें निर्माण कार्य स्वयं कराना चाहती है तो करा सकती है।

(2) निर्माण कार्य की लागत की पच्चीस प्रतिशत धनराशि लाभार्थी संस्था द्वारा अवसंरचनात्मक स्तरोन्नयन के लिए किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि से केवल उन्हीं संस्थाओं में निर्माण कराया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(3) लाभार्थी संस्थाओं को धनराशि उपलब्ध कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि लाभार्थी संस्था को पांच वर्ष में एक बार ही लाभ प्रदान किया जा रहा है तथा संस्था योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स की समस्त शर्तों को पूर्ण करती है।

(4) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुरुप सी एण्ड डी0 एस0 जल निगम) से किसी सहायक अभियन्ता की देख रेख में ही निर्माण कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा निर्माण कार्यो की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र सी एण्ड डी0 एस0 (जल निगम) से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराना होगा। धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत निमार्ण कार्य पर होने वाला अतिरिक्त व्यय संस्था द्वारा स्वयं अपने श्रोतों से वहन किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त प्रयोजनार्थ शासन द्वारा अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नही की जायेगी।

(6) जिला अधिकारी द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि एवं लाभार्थी संस्था के 25 प्रतिशत अंश से हुये निर्माण कार्य की सी एण्ड डी0 एस0 (जल निगम) द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टि के अनुसार पुष्टि कराने के पश्चात तथा कार्य की गुणवत्ता एवं इस तथ्य की भी पुष्टि करने के उपरान्त कि संस्था द्वारा 25 प्रतिशत भाग अवसंरचनात्मक स्तरोन्नयन के लिए किया गया है, द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने पर विचार किया जायेगा।

(7) सहायता प्राप्त करने वाली संस्था को चार्टर एकाउन्टेंट/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित विनिदिष्ट फार्म में व्यय का सम्परिक्षित विवरण देना आवश्यक होगा।

(8) सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के संबंध में मानीटरिंग रिपोर्टो में लाभार्थी छात्रों की कुल संख्या संस्था द्वारा प्राप्त और उपयोग की गयी राशि का विवरण दर्शाते हुये मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करना होगा।

(9) प्रथम किश्त प्राप्त होने के उपरान्त एक वर्ष के भीतर स्वीकृत की जा रही धनराशि तथा लाभार्थी संस्था के 25 प्रतिशत भाग से निर्माण कार्य करा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुये द्वितीय किश्त की स्वीकृति का प्रस्ताव निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भवनों के निर्माण हेतु पूंजीगत पक्ष में उपलब्ध

http://shasanadesh.up.nic.in

लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01-सामान्य शिक्षा-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बालिका उ.मा. विद्यालयों हेतु भवनों के निर्माण के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी 1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 2.7.2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

संख्या-भा.स0 29/(1)/52-3-13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (ई-11) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/
   नियोजन अनुभाग-3 संबंधित सहायक/गार्ड फाईल।
6. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in